न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

पीठासीन अधिकारी : उज्ज्वल राठौड़ आई0ए0एस0

GCMS No. 2020/00213 (Bank Case)
Manual no- 90/2020

पंजाब नेशनल बैंक एक नियमित निकाय है, जिसका प्रधान कार्यालय प्लॉट नं.–04 सेक्टर 10 द्वारका, न्यू दिल्ली–110075 में स्थित व कार्यरत है और जिसकी एक शाखा कार्यालय– झालावाड रोड, कोटा में स्थित व कार्यरत है ।

– प्रार्थी

बनाम

1. श्री महावीर सुमन पुत्र श्री गजानंद सुमन **(ऋणी)**
   पता– मकान नं. ए–7, सुमन विहार–द्वितीय, बूंदी रोड, गिरधरपुरा, कुन्हाडी, जिला कोटा (राज.) 324008
2. श्रीमती सोनू सुमन पत्नी श्री महावीर सुमन
   पता– मकान नं. ए–7, सुमन विहार–द्वितीय, बूंदी रोड, गिरधरपुरा, कुन्हाडी, जिला कोटा (राज.) 324008

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002

उपस्थितः–
श्री अमरसिंह नरूका, अभिभाषक प्रार्थी

आदेश

दिनांकः– 27.01.2021

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है पंजाब नेशनल बैंक एक नियमित निकाय है, जिसका प्रधान कार्यालय प्लॉट नं.–04 सेक्टर 10 द्वारका, न्यू दिल्ली–110075 में स्थित व कार्यरत है और जिसकी एक शाखा कार्यालय– झालावाड रोड, कोटा में स्थित व कार्यरत है से अप्रार्थीगण ने दिनांक 29.12.2017 को 24,49,000/–(रुपये चोईस लाख उनचास हजार मात्र) व 11.01.2018 को 4,77,000/–(रुपये चार लाख सत्तर हजार मात्र) कुल रूपये 29,26,000/–(अक्षरेः रूपये उनतीस लाख, छब्बीस हजार मात्र) का ऋण लिया था । अप्रार्थीगण ने ऋण व उसके मय ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्योरिटी के रूप मे **अचल सम्पत्ति आवासीय मकान नं. ए–7, सुमन विहार–द्वितीय, बूंदी रोड, गिरधरपुरा, कुन्हाडी कोटा राजस्थान में स्थित है । जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है। जिसकी माप लगभग 200 वर्गगज है। जो कि महावीर सुमन पुत्र श्री गजानंद सुमन के नाम से है। जिसकी चारों दिशाएं उत्तर में– भूखण्ड सख्यां ए–8, दक्षिण में– भूखण्ड सं. ए–6, पूर्व में– रास्ता 25 फीट चौडा, पश्चिम में–भूखण्ड सं. ए–22 स्थित है,** को प्रार्थी ने बैंक के पक्ष में गिरवीकृत किया गया था। अप्रार्थीगण ने नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सका और ऋण के भुगतान में व्यक्तिक्रम व डिफाल्ट होने पर प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थीगण के खाते को दिनांक 29.02.2020 को एन.पी.ए. कर दिया गया। अप्रार्थीगण के खाते में 24,39,858.24/–(रुपये चोईस लाख उनतालीस हजार आठ सौ अठावन व चौईस पैसे मात्र) व 4,62,346.89/–(रुपये चार लाख बासठ हजार तीन सौ छियालिस व नवासी पैसे मात्र) कुल रूपये 29,02,205.13/–(अक्षरेः रूपये उनतीस लाख,दो हजार दो सौ पाच व तेरह पैसे मात्र) दिनांक 31.03.2020 तक व आगे की बकाया राशि मय ब्याज व खर्चे पूर्णभुगतान करने तक के लिए अप्रार्थीगण जिम्मेदार है । प्रार्थी बैंक ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 22.06.2020 को नोटिस भी प्रेषित किये

जिला मजिस्ट्रेट
कोटा (राज०)

गये। नोटिस का हिन्दी समाचार पत्र चंबल संदेश व द इण्डियन एक्सप्रेस में दिनांक 13.11.2020 को प्रकाशन भी कराया गया। नोटिस प्राप्ति के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है । ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का कब्जा भी प्रार्थी बैंक को नही संभलाया है । अतः प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते मे देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया ।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया । अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रकट किया कि अप्रार्थीगणों को उसके खाते मे देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत प्रार्थी बैंक ने दिनांक 22.06.2020 को नोटिस भी प्रेषित किये गये। नोटिस का हिन्दी समाचार पत्र चंबल संदेश व द इण्डियन एक्सप्रेस में दिनांक 13.11.2020 को प्रकाशन भी कराया गया। नोटिस प्राप्ति के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है । अतः उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी बैंक द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत दिनांक 22.06.2020 को नौटिस भी प्रेषित किये गये। नोटिस का हिन्दी समाचार पत्र चंबल संदेश व द इण्डियन एक्सप्रेस में दिनांक 13.11.2020 को प्रकाशन भी कराया गया। नोटिस प्राप्ति के बावजूद भी कराया इसके पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगणों द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है ऋणी की **अचल सम्पत्ति आवासीय मकान नं. ए–7, सुमन विहार–द्वितीय, बूंदी रोड, गिरधरपुरा, कुन्हाडी कोटा राजस्थान में स्थित है । जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है। जिसकी माप लगभग 200 वर्गगज है। जो कि महावीर सुमन पुत्र श्री गजानंद सुमन के नाम से है। जिसकी चारों दिशाएं उत्तर में– भूखण्ड सख्यां ए–8, दक्षिण में– भूखण्ड सं. ए–6, पूर्व में– रास्ता 25 फीट चौडा, पश्चिम में–भूखण्ड सं. ए–22 स्थित है,**का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है । उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्ता व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों मे देय है तो संबंधित बैंक द्वारा वहन किया जायेगा । आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक (शहर) कोटा को हस्ब कायदा जारी हो । सम्पत्ति के स्वामित्व अथवा कब्जे को लेकर किसी भी तरह का विवाद होने की स्थिति मे यह आदेश क्रियान्वित ना कर विवाद के संक्षिप्त विवरण सहित इस न्यायालय को लौटाया जावे ।

आदेश आज दिनांक 27.01.2021 को सुनाया गया ।

27.01.21

(उज्ज्वल राठौड़)
जिला मजिस्ट्रेट
कोटा

जिला मजिस्ट्रेट
कोटा (राज०)